



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052026-272234  
CG-DL-E-04052026-272234

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 2026/वैशाख 14, 1948

No. 305]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 2026/VAISAKHA 14, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 04 मई, 2026

सा.का.नि. 333(अ).— महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के खंड 3 के उप-खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग), भारत सरकार की दिनांक 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना सा. का. नि. 125 (अ) के अधिक्रमण में, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के क्र. सं. 1 के सामने उल्लिखित व्यक्ति को, तत्कालीन प्रभाव से और अगले आदेशों तक, मुंबई पत्तन के लिए महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

तालिका

क्र. सं.	सरोकारी	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	सीमा शुल्क, राजस्व विभाग से सदस्य	प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त/ सीमा शुल्क आयुक्त (सामान्य), न्यू कस्टम हाउस, मुंबई-1

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS****(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 04th May, 2026

**G.S.R. 333(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) G. S. R. 125(E) dated 15<sup>th</sup> February, 2022, the Central Government hereby appoints the person mentioned against S. No. 1 in the table below, to be a member of the Board of Major Port Authority for Mumbai Port with immediate effect and until further orders.

**TABLE**

Sl. No. (1)	Interests (2)	Name of the Person to be appointed (3)
1.	Member from Customs, Department of Revenue	Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (General), New Custom House, Mumbai- I

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 04 मई, 2026

**सा.का.नि. 334(अ)** — महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के खंड 3 के उप-खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग), भारत सरकार की दिनांक 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना सा. का. नि. 125 (अ) के अधिक्रमण में, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के क्रम संख्या 1 के सामने उल्लिखित व्यक्ति को, तत्कालीन प्रभाव से और अगले आदेशों तक, जवाहरलाल नेहरू पत्तन के लिए महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

**तालिका**

क्र. सं. (1)	सरोकारी (2)	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का नाम (3)
1.	सीमा शुल्क, राजस्व विभाग से सदस्य	प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त/ सीमा शुल्क आयुक्त (सामान्य), मुंबई कस्टम ज़ोन- II

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 04th May, 2026

**G.S.R. 334(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) G. S. R. 123(E) dated 15<sup>th</sup> February, 2022, the Central Government hereby appoints the person mentioned against S. No. 1 in the table below, to be a member of the Board of Major Port Authority for Jawaharlal Nehru Port with immediate effect and until further orders.

TABLE

<b>Sl. No.</b>	<b>Interests</b>	<b>Name of the Person to be appointed</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Member from Customs, Department of Revenue	Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (General), Mumbai Customs, Zone-II

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.